न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 31/2020

प्रार्थीगण :–

1. रामकुवांर पुत्र भागीरथराम उम्र 72 साल
जाति–ब्राहमण निवासी–ढेहरी, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कैलाश पुत्र गोपाराम
2. बंशीराम पुत्र गोपाराम
3. भंवरलाल पुत्र गोपाराम
उम्र–व्यस्क, जातियान–नायक निवासीगण–ढेहरी तहसील–जायल
4. तहसीलदार जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

1. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अप्रार्थीगण 1 से 3 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 4 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

दिनांक : 08/7/2024

प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त का खेत खसरा नं. 502 रकबा 1.1493 हैक्टेयर मौजा–ढेहरी तहसील जायल में स्थित है। उक्त खेत के लिए आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिए वर्तमान में खसरा नं. 504 की पश्चिमी माठ के पास–2 उक्त खसरे के दक्षिणी पश्चिमी तंरफ स्थित कटाणी रास्ते से होकर आवागमन करता रहा है, परन्तु इस वर्ष 504 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने आवागमन के उक्त रास्ते को अवरूध/बंद कर दिया है, जिससे प्रार्थी व अपने खेत में न तो कोई गाड़ी छकड़ा ले जा पा रहा है, ना ही प्रार्थी खेत में आवागमन कर पा रहा है। जिसके कारण प्रार्थी खातेदारी खेत में कृषि भूमि में काश्त करसण करना एवं स्वयं का तथा परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

08/7/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 504 में से 12 फीट चौड़ाई में माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता घोषित/स्वीकृत किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार देय प्रतिकर राशि प्रार्थी वहन करने के लिए सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार जायल को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने वकालातनामा मय जवाब प्रा.पत्र/आपत्ति पेश किया।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक भू.अ./2020/3751 दिनांक 30.12.2020 के प्राप्त हुई, जिसमें प्रार्थी के खेत खसरा नं. 502 के पश्चिम में मातासुख सरहद लगती है, जिसके पश्चिमी मे खसरा नं. 698 स्थित है जिसके पश्चिम दिशा के पश्चिमी–दक्षिणी दिशा में कटाणी रास्ता लगता है, जो ग्राम ढेहरी के खसरा नं. 504 के दक्षिण–पश्चिम कोने पर चल रहा है, परन्तु कटाणी रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं है। मौके पर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 502 में प्रवेश हेतु रास्ता खसरा नं. 698(ग्राम मातासुख) के उतरी सींव पर निकटतम लगता है, जो कटाणी मार्ग से लगता है। प्रार्थी के खेत में प्रवेश हेतु मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हैं, प्रस्तावित रास्ते के उपभोग में आने वाली भूमि के लिए प्रतिकर राशि 20664/–रू. बनती है।

प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.12.2020 अस्पष्ट एवं उक्त मौका रिपोर्ट में आस–पास के खसरों का उल्लेख नहीं होने से वकील अप्रार्थी एवं प्रार्थी की सहमति पर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने के लिए पत्र भू.अ. निरीक्षक तरनाऊ तहसील–जायल के नाम जारी किया गया। जिसकी पालना में भू.अ. निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 17.02.2021 को प्राप्त हुई। जिसमें बताया कि खसरा नं. 502 ग्राम ढेहरी में ढेहरी में ग्राम ढेहरी–मातासुख सरहद पर स्थित है। खसरा नं. 502 में प्रवेश हेतु खसरा नं. 504 के पश्चिम माठ पर बिन्दू ए से बी 210 मीटर व निकटतक रास्ता बिन्दू सी से डी 81.40 मीटर की दूरी पर लगता है जिसपर किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। अन्य कोई कटाणी/कदीमी रास्ता खसरा नं. 502 के नही लगता है। खसरा नं. 504 में जीरा व ग्राम मातासुख के खसरा नं. 698 में इसबगोल की फसल बोई हुई है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र/आपत्तियों में प्रार्थना पत्र में वर्णित आंशिक तथ्य स्वीकार किया तथा शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार किया तथा जवाब में अंकित किया कि खेत खसरा नं. 502 में आवागमन के लिए रास्ता नहीं होना गलत कथन किया है, प्रार्थी अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 504 में से कभी आवागमन नहीं करता रहा है जबकि खसरा नं. 698 की उतरी माठ पर से पिढियों से प्रार्थी अपने खेत में प्रवेश करता आ रहा है तथा वही रास्ता निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता भी है। प्रार्थी अपनी सुविधा के लिए जबरन अप्रार्थीगण जो कि अनपढ़ व अनुसूचित जाति के लोगो पर दबाव बनाकर रास्ता कायम कराना चाहते है जो कि गलत है तथा न्यायसंगत नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज होने से खारिज किया जावे।

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत है, जिसमें भू–अभिलेख मौका रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है था अप्रार्थीगण को सूचित किया जाना होता है। प्रकरण में पुनः भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट दिनांक 17.02.2021 प्राप्त होकर सामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा अपना जवाब/आपत्तिया प्रस्तुत कर दी है। शेष बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का है तथा प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही (मौका रिपोर्ट व अप्रार्थीगण को सूचना) पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण हाजा में वकुलाय की सहमति पर बहस अन्तिम हेतु तारीख पेशी नियत की गई तथा बहस वकुलाय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त का खेत खसरा नं. 502 रकबा 1.1493 हैक्टेयर मौजा–ढेहरी तहसील जायल में स्थित है। उक्त खेत के लिए आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वर्तमान में खसरा नं. 504 की पश्चिमी माठ के पास–2 उक्त खसरे के दक्षिणी पश्चिमी तरफ स्थित कटाणी रास्ते से होकर आवागमन करता रहा है, परन्तु इस वर्ष 504 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने आवागमन के उक्त रास्ते को अवरूध/बंद,कर दिया है, जिससे प्रार्थी अपने खेत में न तो कोई गाड़ी छकड़ा ले जा पा रहा है, ना ही प्रार्थी खेत में आवागमन कर पा रहा है। जिसके कारण प्रार्थी खातेदारी खेत में कृषि भूमि में काश्त करसण करना

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

एवं स्वयं का तथा परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 504 में से 12 फीट चौड़ाई में माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता घोषित/स्वीकृत किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार देय प्रतिकर राशि प्रार्थी वहन करने के लिए सहमत है।

वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 502 में आवागमन के लिए रास्ता नहीं होना गलत कथन किया है, प्रार्थी अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 504 में से कभी आवागमन नहीं करता रहा है जबकि खसरा नं. 698 की उतरी माठ पर से पिढियों से प्रार्थी अपने खेत में प्रवेश करता आ रहा है तथा वही रास्ता निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता भी है। प्रार्थी अपनी सुविधा के लिए जबरन अप्रार्थीगण जो कि अनपढ़ व अनुसूचित जाति के लोगो पर दबाव बनाकर रास्ता कायम कराना चाहते है जो कि गलत है तथा न्यायसंगत नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज होने से खारिज किया जावे।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.12.2020 एवं 17.02.2021 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वय के खातेदारी खेत खसरा नं. 502 के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 504 में से रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है जिसकी कटाणी रास्ते से दूरी 210 मीटर बिन्दू ए–बी है, जबकि मौका रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम दूरी खसरा नं. 698 नजरी नक्शा अनुसार मार्क सी से डी में से 81.40 मीटर की दूरी बताई गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत किसी भी खातेदार काश्तकार को निकटतम कटाणी रास्ते से रास्ता यदि वैकल्पिक रास्ते का अभाव हो तथा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर दिये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 502 के लिए रास्ता प्रस्तावित रास्ता खसरा नं. 504 की दूरी 210 मीटर है तथा खसरा नं. 698 में से 81.40 मीटर है। जिनको प्रार्थी ने प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, जिनको सूचित अथवा सूने बिना रास्ता घोषित व स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251क आर.टी.एक्ट निकटतम कटाणी रास्ते से प्रस्तावित नहीं किये जाने कारण खारिज योग्य पाया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

रामकुवांर बनाम कैलाश वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2020

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी द्वारा ग्राम ढेहरी तहसील–जायल के खसरा नं. 502 के लिए कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल में बताये अनुसार निकटतम रास्ते से जो कि खसरा नं. 698 में से है, नही चाहकर खसरा नं. 504 में से चाहा गया है जिसकी दूरी अत्यधिक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। प्रार्थी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित धारा के तहत प्रार्थना पत्र पुनः नये सिरे से पेश करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08/7/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

08/7/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner